दैनिक भारत कि
# तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३०१ वा | सोमवार २ जून २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

# बिंदुसरा तालाब कि बड़ी चादर कमजोरी कि तरफ, दिवार पर उगे पीपल और वट प्रशासन कि लापरवाही से हो सकता है बड़ा खतरा-डॉ. गणेश धवळे

**बीड। प्रतिनिधी**

**बीड शहर को जल आपूर्ति करने वाले महत्वपूर्ण बिंदुसरा बांध की मुख्य चादर (कवर स्ट्रक्चर) पर वटवृक्ष, पीपल और नींबू जैसे वृक्ष उग आए हैं, जो बांध की संरचना के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। पिछले तीन वर्षो से इस मुद्दे पर पाटबंधारे विभाग और जिला प्रशासन को लिखित निवेदन दिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस लापरवाही के कारण बांध की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. गणेश धवळे लिंबागणेशकर और रामनाथ खोड ने दी है।**

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के वृक्षों की जड़ें तेजी से फैलती हैं, जिससे पानी रिसने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और यह स्थिति चादर में दरारें, रिसाव या पूरी संरचना के ध्वस्त होने का कारण बन सकती है। इसके चलते न सिर्फ शहर के जलस्रोत पर संकट आ सकता है, बल्कि हजारों नागरिकों के जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

इस संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी बीड और पाटबंधारे विभाग क्रमांक ३ के कार्यकारी अभियंता को लिखित रूप से ज्ञापन देकर मुख्य चादर पर उग आए इन पेड़ों को हटाने तथा दीवार की मरम्मत करने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि ११ सितंबर २०२२ को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर बिंदुसरा नदी के किनारे १६ किलोमीटर के क्षेत्र में मानव शृंखला के माध्यम से ५,९७० बांस के पौधों का वृक्षारोपण किया गया था। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, पुलिस अधीक्षक नंदकुमार ठाकुर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार की उपस्थिति में वृक्षारोपण हुआ था। उस समय भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बांध की मुख्य चादर पर उग आए पेड़ दिखाए थे और उन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी यह कार्य नहीं किया गया है।

डॉ. गणेश धवळे ने सवाल उठाया कि हर वर्ष मानसून से पहले और बाद में सिंचाई परियोजनाओं की नियमित जांच होती है, जिसमें दीवार, ओवरफ्लो क्षेत्र आदि की समीक्षा की जाती है, तो फिर बिंदुसरा बांध की मुख्य चादर पर उगे वृक्षों पर विभाग की नजर क्यों नहीं गई?

रामनाथ खोड ने चेतावनी दी कि जिस प्रकार कई किले और ऐतिहासिक इमारतें पेड़ों के कारण ढह गईं, उसी प्रकार बिंदुसरा बांध की संरचना को भी खतरा है। यदि आज इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने शासन से तुरंत हस्तक्षेप कर इन वृक्षों को हटाने की मांग की है।

# समाज की प्रगति के लिए शिक्षा सर्वोत्तम विकल्प-डॉ.योगेश क्षीरसागर

## बीड में लोणारी समाज के मेधावी विद्यार्थियों का किया गया सत्कार

**प्रतिनिधि, बीड । दिनांक १ जून**

**लोणारी समाज भले ही संख्या में कम हो, लेकिन शिक्षा के माध्यम से वह अपना अस्तित्व सिद्ध कर रहा है। पारंपरिक व्यवसाय लगभग समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में समाज की प्रगति के लिए शिक्षा ही सबसे अच्छा विकल्प है। समाज के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलें, इसके लिए संस्था में दो होनहार युवकों को अवसर देने का निर्णय लिया जाएगा। यह आश्वासन राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीड विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगेश क्षीरसागर ने दिया।**

बीड जिला लोणारी समाज सेवा संघ की ओर से शहर के लोणारपुरा में मेधावी विद्यार्थियों के सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. योगेश क्षीरसागर, राष्ट्रवादी कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव आखाडे और पत्रकार व अधिवक्ता संदीप बेदरे उपस्थित थे।

कार्यक्रम की प्रस्तावना संघ के अध्यक्ष अनिल मुळेकर ने प्रस्तुत करते हुए समाज के इतिहास और कार्यो का परिचय दिया। इस दौरान कल्याणराव आखाडे ने उपस्थित जनसमूह को ओबीसी समाज के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं और महामंडलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज को संगठित करते हुए समाज मेरा है, संगठन अपना है यह भावना प्रत्येक के मन में बिठाई जानी चाहिए।

अपने मार्गदर्शन में अधिवक्ता संदीप बेदरे ने कहा कि मेधावी विद्यार्थी वास्तव में सौभाग्यशाली होते हैं। उनकी मेहनत का फल आज समाज उन्हें समर्थन देकर चुका रहा है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि छात्र दसवीं और बारहवीं के बाद भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों तक पहुंचें।

इस अवसर पर विद्यार्थियों का सत्कार शैक्षणिक सामग्री, पुष्पगुच्छ और प्रमाणपत्र देकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन गणेश अभिमन्यु मुळेकर ने किया।

कार्यक्रम में माणिक दोडमिसे, नामदेव खांडेकर, नुकुल मुळेकर, किरण निंबाळकर, सुरज दोडमिसे, विनोद मुळेकर, विनोद ढेंबरे, मंगेश ढेंबरे, मनोहर दोडमिसे, संजय उंडे सहित बड़ी संख्या में समाजबांधव और विद्यार्थी उपस्थित थे।

# सरकार और नेताओं पर आरोप भारी पड़े, बर्खास्त पीएसआय रणजीत कासले दिल्ली से गिरफ्तार

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई । दिनांक: १ जून

बीड जिले के मस्साजोग ग्राम पंचायत के सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के बाद लगातार सरकार और पुलिस विभाग पर आरोप लगाने वाले बर्खास्त पुलिस उपनिरीक्षक रणजीत कासले को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि कासले पर जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने और जातिगत द्वेष फैलाने का आरोप है।

रणजीत कासले ने पूर्व मंत्री दीपक केसरकर और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और उससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। संतोष देशमुख की हत्या के बाद बीड जिले के पुलिस विभाग की कई गतिविधियाँ उजागर हुईं, जिनमें कासले ने पुलिस विभाग, मंत्री धनंजय मुंडे और महायुती सरकार के नेताओं पर सीधे आरोप लगाए थे।

कासले ने विधानसभा चुनाव के समय ईवीएम मशीन रखे गए केंद्र पर ड्यूटी दिए जाने का दावा किया था, लेकिन उसे उस स्थान पर जाने नहीं दिया गया। साथ ही, उसके बैंक खाते में १० लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे, ऐसा भी उसने आरोप लगाया। इसके अलावा, बीड जेल में बंद वाल्मीकि करा को विशेष सुविधाएं जैसे चिकन-मटन और अन्य आरामदायक व्यवस्था मिलने का दावा भी कासले ने किया था। कासले पहले भी जमानत पर रिहा हुआ था, और उसके बाद उसने सोशल मीडिया के माध्यम से कई रहस्योद्घाटन किए। अब दिल्ली से गिरफ्तार किए जाने के बाद, उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को कासले के दिल्ली में होने की जानकारी मिलने के बाद एक विशेष टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर मुंबई लाया।

### करुणा मुंडेने की सीबीआय जांच की मांग

इस बीच, करुणा शर्मा-मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर रणजीत कासले द्वारा लगाए गए आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कासले के आरोप बेहद गंभीर हैं, और पुलिस द्वारा उन पर कार्रवाई करने की बजाय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कासले ने जिन नेताओं पर आरोप लगाए हैं, उनकी केंद्रीय एजेंसी द्वारा गहराई से जांच होनी चाहिए।

**उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश**

# लड़ाकू विमान निर्माण पर मोदी सरकार असंवेदनशील: अनंत गाडगील का आरोप

## चार वर्षों में एक भी विमान वायुसेना को नहीं सौंपा गया, 'ऑपरेशन सिंदूर' से उठे सवाल

रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई । दिनांक: १ जून

देश की सुरक्षा और रक्षा उपकरणों के निर्माण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। देश में वायुसेना के लिए विमान निर्माण के करार होने के बावजूद पिछले चार वर्षों में एक भी लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को नहीं सौंपा गया है। यह आरोप कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनंत गाडगील ने रविवार को लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर' के राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने वाली मोदी सरकार की सच्चाई अब उजागर हो चुकी है।

अनंत गाडगील ने कहा कि केंद्र सरकार युद्ध सामग्री निर्माण को लेकर खूब प्रचार करती है और मीडिया में जमकर इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने स्वयं यह स्वीकार किया कि वर्षों से वायुसेना को आवश्यक उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं।

गाडगील ने बताया कि वर्ष २०२१ में केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक उपक्रम और एक निजी कंपनी के साथ लड़ाकू विमान निर्माण का करार किया था, लेकिन इसके चार वर्ष बाद भी एक भी विमान वायुसेना को सुपुर्द नहीं किया जा सका है। यह एक गंभीर विषय है जिससे सरकार की नाकामी उजागर होती है।

उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राफेल विमान की गुणवत्ता और खरीद प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठाए थे, उन्हें उस समय भाजपा ने पाकिस्तान समर्थक भाषा बताकर खारिज कर दिया था। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल विमान के गिराए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया, तो भाजपा ने इसका जवाब देने की बजाय पलटवार करते हुए पूछा कि कांग्रेस पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, यह क्यों नहीं पूछती?

गाडगील ने यह भी कहा कि आज तक मोदी सरकार ने इस विषय पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। उलटे, तीनों सेनाओं के प्रमुख अनिल चौहान ने अब इस विषय को स्वीकार किया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बयान दिया है कि पांच राफेल विमान गिराए गए थे। ऐसे में अब भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अनिल चौहान और स्वामी किसकी भाषा बोल रहे हैं?

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एक अमेरिकी समाचार चैनल ने राफेल विमान के मलबे की तस्वीरें दिखाई थीं, वह दृश्य असली था या नकली – इसका भी अभी तक सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अब तो पश्चिमी देशों ने राफेल विमानों को लेकर पुनः जांच शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों के कुछ प्रधानमंत्रियों ने भी इस विषय पर चिंता जताई है।

इसलिए गाडगील ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल स्पष्ट और पारदर्शी भूमिका जनता के सामने रखनी चाहिए।

# १० जून तक किसान न करें बुआई की जल्दबाजी: कृषि विभाग की अपील

## मानसून की रफ्तार थमने से बढ़ा असमंजस, अधिकांश क्षेत्रों में रहेगा शुष्क मौसम

विशेष संवाददाता, मुंबई । १ जून

बदलते मौसम के कारण इस वर्ष मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है और इसका आगमन फिलहाल थमता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, कम से कम १० जून तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में किसानों से बुआई की जल्दबाजी न करने की अपील की गई है।

गत सप्ताह राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्री-मानसून बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ था, जिससे किसान चिंतित हैं। वहीं अब मानसून की गति में गिरावट आई है और वह रुकने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। अगले कुछ दिनों में सिर्फ पश्चिमी तट और राज्य के कुछ हिस्सों में ही हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी।

विदर्भ में तापमान ४० डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जबकि मराठवाड़ा और खानदेश में अधिकतम तापमान ३५ से ४० डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। यह शुष्क मौसम बुआई और फसल की रोपाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कृषि विभाग ने एक बार फिर किसानों, विशेषकर वर्षा आधारित खेती करने वालों से अपील की है कि किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और बुआई व रोपाई की प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। जब तक मानसून का आगमन स्पष्ट रूप से न हो जाए, तब तक रुककर निर्णय लेना ही सुरक्षित होगा।

# बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: ३ से ८ जून तक मवेशी बाजार बंद रखने का आदेश, मुस्लिम समुदाय ने जताई नाराजगी

मुंबई से रिपोर्ट । १ जून, २०२५

बकरीद से पहले महाराष्ट्र सरकार के गोरक्षा आयोग द्वारा एक बड़ा और विवादास्पद निर्णय लिया गया है। आयोग ने राज्य की सभी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों (एपीएमसी) को ३ जून से ८ जून तक मवेशी बाजार बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का उद्देश्य कथित तौर पर गोकशी को रोकना है, लेकिन इसका असर बकरी, भैंस और भेड़ जैसे अन्य जानवरों की खरीद-फरोख्त पर भी पड़ा है।

यह आदेश २७ मई को जारी एक परिपत्र के माध्यम से सभी एपीएमसी को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि बकरीद के अवसर पर बड़ी संख्या में जानवरों की बलि दी जाती है, और इसे रोकने के लिए जून के पहले सप्ताह में मवेशी बाजार आयोजित न किए जाएं।

राज्य में गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध है और गौमांस रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। महाराष्ट्र गोरक्षा आयोग के अध्यक्ष शेखर मंडा ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल सलाह के रूप में जारी किया गया था, और इसका उद्देश्य अन्य जानवरों की व्यापार पर स्थायी प्रतिबंध नहीं है।

हालांकि, इस फैसले का विभिन्न समुदायों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा तीखा विरोध किया गया है। लोगों ने सवाल उठाया है कि पूरी एक सप्ताह तक बाजार बंद रखने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इससे किसानों, मजदूरों, कसाई-खटक बिरादरी और संबंधित व्यवसायों की आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा।

वंचित बहुजन अघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष फारूक अहमद ने नांदेड़ में इस सर्कुलर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि इस फैसले से अनेक वर्गों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गोरक्षा आयोग के पास आदेश जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वह केवल सुझाव दे सकता है।

महाराष्ट्र में कुल ३०५ बड़ी और ६०३ छोटी कृषि बाजार समितियाँ हैं, जिनके अंतर्गत २९२ मवेशी बाजार आते हैं। ये बाजार विशेष रूप से किसानों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो मानसून आने पर खेती के लिए मवेशी खरीदते हैं और कटाई के बाद उन्हें बेचकर लागत निकालते हैं।

बकरीद के समय इन बाजारों में विशेष रूप से बकरी, भेड़ और अन्य छोटे जानवरों की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में इन बाजारों को एक सप्ताह तक बंद रखने का आदेश न केवल व्यापारिक नुकसान का कारण बना है, बल्कि सामाजिक विवाद भी खड़ा हो गया है।

गोरक्षा आयोग का कहना है कि अगर मवेशी बाजार खुले रहे तो बकरीद के दौरान जानवरों की खरीद-फरोख्त में वृद्धि होगी और गोकशी की आशंका बढ़ जाएगी। आयोग ने दोहराया है कि उसका मकसद केवल अवैध गोकशी को रोकना है, न कि धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करना।

# सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की अनुमति, लेकिन बुरक़ा पर रोक जारी

नई दिल्ली । १ जून २०२५

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी हिजाब और बुरक़ा पर प्रतिबंध के आदेश पर आंशिक रोक लगाई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज के उस सर्कुलर के उस हिस्से पर रोक लगाई, जिसमें हिजाब, टोपी और धार्मिक बैज पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि कक्षा के भीतर बुरक़ा और नकाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पृष्ठभूमि:

मुंबई के चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एन. जी. आचार्य और डी. के. मराठे कॉलेज ने जून २०२४ में एक ड्रेस कोड लागू किया था, जिसमें छात्रों को हिजाब, नकाब, बुरक़ा, स्टोल, टोपी और धार्मिक प्रतीक पहनने से मना किया गया था। कॉलेज का तर्क था कि यह कदम छात्रों की धार्मिक पहचान को छिपाने और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया गया है। इस आदेश के खिलाफ नौ मुस्लिम छात्राओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे २६ जून २०२४ को खारिज कर दिया गया। इसके बाद छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ:

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से पूछा, क्या आप बिंदी या तिलक पहनने पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? न्यायालय ने कहा कि छात्राओं को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहनें।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा के भीतर बुरक़ा और नकाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

अंतरिम आदेश और आगे की प्रक्रिया:

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के सर्कुलर के उस हिस्से पर आंशिक रोक लगाई है, जिसमें हिजाब, टोपी और धार्मिक बैज पहनने पर प्रतिबंध था। अदालत ने कॉलेज को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि इस आदेश का दुरुपयोग होता है, तो वह पुनः अदालत का रुख कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर २०२४ में निर्धारित की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब, टोपी और धार्मिक बैज पहनने पर प्रतिबंध के आदेश पर आंशिक रोक लगाई है। कक्षा के भीतर बुरक़ा और नकाब पहनने की अनुमति नहीं दी गई है।

अदालत ने कहा कि छात्राओं को अपनी धार्मिक पहचान के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

कॉलेज को आदेश के दुरुपयोग की स्थिति में पुनः अदालत का रुख करने की अनुमति दी गई है।

यह फैसला देश में धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

# साबरमती सफाई अभियान में जुड़ी जमीअत उलेमा गुजरात, अहमदाबाद की टीम

अहमदाबाद, १जून: हबीब खान

शहर के मध्य बहने वाली साबरमती नदी की सफाई को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान में आज जमीअत उलेमा गुजरात के ६० से अधिक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। नदी की गंदगी और प्रदूषण को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने लगभग ६०० मीटर क्षेत्र में फैले कचरे को हटाकर सफाई की।

यह पहल जमीअत उलेमा गुजरात के जनरल सेक्रेटरी प्रो. निसार अहमद अंसारी की हिदायत पर की गई। हालांकि, बीमारी के चलते वे स्वयं उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उनकी प्रेरणा से अहमदाबाद शहर के विभिन्न मदरसों के प्रोफेसर और छात्र भी इस सफाई कार्य में शरीक हुए। टीम का नेतृत्व शहर के सचिव असलम कुरैशी ने किया।

इस अभियान में जमीअत के शहर वटो के मंत्री जुबैर शेख, मदरसा अंसार नगर के मौलाना महबूब कासमी, तथा जमीअत उलेमा अहमदाबाद के स्थायी सचिव मौलाना इब्रार शेख समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रो. अंसारी ने इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को युवाओं में देश और समाज के लिए सेवा की भावना को जागृत करने वाला बताया।

असलम कुरैशी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी देश-समाज की सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने खास तौर पर खानपुर की दिशा में साबरमती नदी के पूर्वी किनारे पर सफाई की।

यह पूरी मुहिम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से आमंत्रण मिलने के बाद जमीअत उलेमा गुजरात की ओर से सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए चलाई गई। नगर निगम के अधिकारियों ने भी जमीअत उलेमा के कार्य की सराहना की।

इस संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार हबीब शेख ने किया। मौके पर जमीअत उलेमा सिटी अहमदाबाद के कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

# बीड़ जिले के माळापुरी में अमीर-ए-शरीअत व मुफ्ती-ए-आज़म मराठवाड़ा का पुनीत आगमन

## मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुअज़्ज़ुद्दीन कासमी ने छात्रों को दी प्रेरणादायक नसीहतें

माळापुरी (ज़िला बीड़), १ जुन २०२५, शनिवार

आज मदरसा अनवारुल उलूम माळापुरी में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर उस समय देखने को मिला जब मराठवाड़ा के अमीर-ए-शरीअत, मुफ्ती-ए-आज़म और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिष्ठित सदस्य, साथ ही दारुल उलूम दौलताबाद वीकखाना (औरंगाबाद) के प्रमुख हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुअज़्ज़ुद्दीन साहब कासमी दा'ए॰ बरकातुहुम का आगमन हुआ।

अपने अल्प समय के प्रवास के दौरान हज़रत अमीर-ए-शरीअत ने मदरसे के छात्रों को दिल से छू जाने वाली नसीहतें दीं। उन्होंने कहा कि छात्रों को पूरी लगन, उत्साह और समर्पण के साथ इल्म-ए-दीन (धार्मिक ज्ञान) हासिल करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने असातिजा (उस्तादों) के अदब व सम्मान पर जोर दिया और पूरे मनोयोग से शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी।

मदरसे के सुचारु संचालन और व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की और शिक्षकों की मेहनत व योगदान की सराहना की। उन्होंने मदरसे की कार्यप्रणाली सुनकर नेक दुआओं और शुभकामनाओं का इज़हार भी किया।

हज़रत के साथ औरंगाबाद स्थित जामिया इस्लामिया दारुल उलूम के कार्यवाहक मोहतमिम क़ारी मोहम्मद अमीन साहब जामई भी मौजूद थे। मदरसे के संस्थापक और मोहतमिम मुफ्ती मोहम्मद अतीकुर्रहमान साहब कासमी एवं अन्य शिक्षकगणों ने इन दोनों महान हस्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और सम्मानस्वरूप दोनों को तोहफे के रूप में रूमाल भेंट किए।

हज़रत अमीर-ए-शरीअत का आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता का दिन बन गया जब समय की एक महान हस्ती ने हमारे क्षेत्र में कदम रखकर हम सभी को दुआओं से नवाज़ा और हमारे हौसले को नई ऊर्जा प्रदान की। यह विशेष बैठक हज़रत की दुआ के साथ समाप्त हुई।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharash-tra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com